न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 182/2015

हरबंससिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति सैनी निवासी 23 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद गांव बोहण तहसील व जिला होशियारपुर (पंजाब)

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र रिखीसिंह जाति सैनी निवासी चक 23 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति सैनी निवासी चक 23 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।
3. कुलवंतसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह | जाति सैनी निवासीगण चक बोहण
4. गुरचरणसिंह पुत्र कुलवंतसिंह | तहसील व जिला होशियारपुर
5. गुरप्रीतसिंह पुत्र कुलवंतसिंह | (पंजाब)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर । —रेस्पोडन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955 विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर दिनांक 07.07. 2015

उपस्थितः—

श्री विरेन्द्र सिहाग अभिभाषक अपीलार्थी

श्री जरनेलसिंह टुरना अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय दिनांक 22.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार प्रार्थी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 23 एच के खाता संख्या 7/11 मु.न. 2 में 2.479 है. मु.न. 3 के 2.758 है. 48 मु.न में 0.987 है0 मु.न

22/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

51/19 में 0.025 है. मु.न 51/20 में 0.063 है कुल 6.312 है0. खाता संख्या 8/10 मु.न. 14 में 1.771 है खाता संख्या 11/14 मु.न.14 में 3.035 है0 खाता सं. 25/51 मु.न. 1 में 1.822 है मु.न 11 में 2.782 मु0न0 51 के कि.न. 10/2 0.152 है. खाता संख्या 44/39 मु.न 2 में 2.846 है0 मु.न 3 में 2.619 है0 मु.न 48 में 1.012 है कुल 6.477 है. भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । प्रार्थी के दादा रिखी ने पंजाब में जो भूमि आवंटित थी उसके बेचकर चक 23 एच में भूमि कय की थी । इसलिए उपरोक्त आराजी मुश्तरका हिन्दु खानदान की है जिसमें प्रार्थी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करने के लिए अप्रार्थीगण को कहा तो वे इन्कार हो गये । अतः निवेदन है कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह भूमि को रहन बेय आदि द्वारा मुन्तकिल नहीं करने एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 07.07.2015 को प्रार्थना पत्र खारिज कर लिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एक तरफा तौर पर पारित किया गया है एवं पत्रावली कैम्प में रखने की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई । अधी. न्यायालय ने प्रार्थना को न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया है। अपीलाधीन आदीश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। यदि वाद के निर्णय से पूर्व भूमि का किसी प्रकार से हस्तान्तरण हो जाता है तो प्रार्थी/अपीलार्थी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे । जबकि वकील रेस्पो. ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

22/11/17

राजस्व अपील अधिकारी

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 07.07.2015 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का निस्तारण किया गया है जबकि निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र या तो स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार जो दोनों ही नही करने से अधी. न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का पेश होकर विवादित आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की होकर रेस्पो. अपीलांट के भाई, पितो एवं भतीते होकर उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया जिसमें अन्तरिम आदेशप दिनांक 23.01.2013 द्वारा स्वीकार किया गया जिसका कियान्तक भाग है कि विवादित भूमि चक 23 एच की जमाबंदी सम्वत् 2068–71 के खाता संख्या 44/39 के मु.न.2 के 2.846 है0, मु.न. 3 के 2.619 है0, मु.न. 48 के 1.012 है0 कुल 6.477 है0 एवं खाता संख्या 25/51 के मु.न. 1 के 1.822 है0, मु.न. 11 के 2.782 है0, मु.न. 51 0. 152 है0 खाला कुल 4.756 है0, ,खाता संख्या 11/14 के मु.न. 14 के 3.035 है0, खाता संख्या 7/11 के मु.न. 2 के 2.479 है0, मु.न. 3 के 2.758 है0, मु.न. 48 के 9. 987 है0, मु.न. 51/19 के 0.025 है0, मु.न. 51/20 के 0.063 है0 कुल 6.312 है0, खाता संख्या 8/10 के मु.न. 14 के 1.771 है0 रकबा को रहन एवं बैय नहीं करे तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे । मौका पर काबिज व्यक्ति बिना कानूनी प्रकिया अपनाये बेदखल नहीं किया जावेगा । न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना विवादित भूमि का बेचान नहीं किया जावेगा। दोनों पक्ष धारा 52 टी पी एक्ट की पालना करेगे ।

परन्तु निर्णय दिनांक 07.07.2015 में आदेश दिनांक 23.01.2013 को न तो पुष्ट किया न ही अपास्त किया जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति का विवेचन कर प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना चाहिए था जो अधी.न्यायालय ने नहीं किया है।

उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने अधी. न्यायालय का निर्णय अपीलांट को सुने बगैर पारित किया है । अतः अपास्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

करने का अनुरोध किया तथा जाहिर किया कि विवादित आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की है। अतः दौराने दावा आराजी की यथास्थिति बनाये रखना कानूनी है अपने कथन के समर्थन में न्याय सिद्धान्त आरआरटी 2010 पेज 221 माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने रिवीजीन टीए नं. 10012/अलवर/2008 निर्णय दिनांक 17.09.2009 में held किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 212–अस्थाई निषेधाज्ञा –आवेदन खारिज किया–एस.एल. व एच. प्रत्येक 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे–एस.एल. ने अपना 1/4 हिस्सा अपने भाई डी. को विक्रय किया और एच ने भी 1/4 हिस्सा ए को विक्रय किया–विभाजन हेतु वाद विचाराधीन है–विक्रय पत्र में केवल हिस्सा बेचना वर्णित किया है–विशिष्ट . भूमि वर्णित नहीं की है–अप्रार्थी को सड़क के पास 1/4 हिस्से को बेचने का अधिकार नहीं है–यदि सहकाश्तकार रिश्तेदार है और भूमि विशिष्ट भाग पर अधिकार दर्शाना चाहते है, उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जा सकता है–निर्णित–आदेश अपास्त किये तथा भूमि को किसी भी रीति से अन्तरण करने से अप्रार्थी को निषेधित किया Imp- Point- In the case of dispute amongst members of fimily even a recorded khatedar can be restrained from transferring the land-

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने का कथान किया। अपनी लिखित बहस में जाहिर किया कि रेस्पो. महेन्द्रसिंह का देहान्त हो चुका हे इस सम्बन्ध में वकील प्रार्थी को अवगत कराया गया था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करने से अपील अपीलांट अबैट हो चुकी हैं। इस सम्बन्ध में ए आइ आर 2005 पेज 6 . ए आई आर 1999 पेज 1077, ए आई आर 1973 पेज 665 की की नजीर पेश की एवं कथन कि अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश होने से खारिज की जावे । विवादित भूमि रेस्पो. की स्वंर्जित भूमि है जिस पर अपीलांट स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है रिखीसिंह को जो पंजाब में भूमि आवंटन हुई थी वह पैतृक सम्पति की परिभाषा में नहीं आती है न ही विवादित भूमि रिखीसिंह ने क्रय की थी । अपीलांट 1997 से पूर्व ही अपने हिस्से की भूमि को प्राप्त होकर अलग हो गया । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में पंजाब की भूमि का कोई हवाला नहीं दिया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता हैं एवं वह अपील के माध्यम से कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे ।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रस्तुत न्याय सिद्धान्तों का अध्ययन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निश्कर्ष पर पहुंचता है कि अधी.न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अस्थाई निषाधाज्ञा के तीन सिद्धान्तों प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति का विवेचन नहीं करने से विधिक नुक्स है साथ ही अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धान्त प्रकरण हाजा पर चस्पा योग्य होकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है एवं वाद के निर्णत तक विवादित भूमि के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर